◎所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と

インド共和国政府との間の条約を改正する議定書

(略称)インドとの租税(所得)条約改正議定書

平成二十七年十二月 十一日 ニューデリーで署名

平成二十八年 五月二十五日 国会承認

平成二十八年 九月二十七日 承認の閣議決定

平成二十八年 九月 三十日 公布及び告示平成二十八年 九月二十九日 東京で承認を通知する外交上の公文の交換

(条約第一四号及び外務省告示第三七八号)

平成二十八年 十月二十九日 効力発生

末	第	第	第	第	前	
	四	\equiv	$\stackrel{-}{\rightharpoonup}$	_		目
文	条	条	条	条	文 : :	
文三九七	効力発生三九六	条約第二十六条Aの追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	条約第二十六条の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	条約第十一条3及び4の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三八九		次ページ

日本国政府及びインド共和国政府は、

和国政府との間の条約(以下「条約」という。)を改正することを希望して、 リーで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共 二千六年二月二十四日に東京で署名された議定書によって改正された千九百八十九年三月七日にニューデ 次のとおり協定した。

第一条

条約第十一条3及び4を次のように改める。

- 3 るものについては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、次のいずれかの場合に該当す
- (a) 合 体 当該利子の受益者が、当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団 当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府が全面的に所有する金融機関である場
- (b) た債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関して当該利子が支払われる場合 の政府が全面的に所有する金融機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われ の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、 当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の政府、当該他方 当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該他方の締約国

AMENDING THE CONVENTION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXAFION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Japan and the Government of the Republic of India, $\ensuremath{\mathsf{T}}$

India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at New Delhi on 7th March, 1989, as amended by the Protocol signed at Tokyo on 24th February, 2006 Desiring to amend the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of (hereinafter referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

shall be deleted and replaced by the following: Paragraphs 3 and 4 of Article 11 of the Convention

- "3. Notwithstanding the provisions of paragraph interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if: 2
- (a) the interest is derived and beneficially Government; or bank of that other Contracting State or any or local authority thereof, or the central Contracting State, a political sub-division owned by the Government of that other financial institution wholly owned by that
- 6 Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, or the central Contracting State with respect to debt-claims guaranteed, insured or indirectly financed by the Government of that other owned by a resident of that other the interest is derived and beneficially bank of that other Contracting State or any Government. financial institution wholly owned by that

- 4.3の規定の適用上、「中央銀行」及び「政府が全面的に所有する金融機関」とは、次のものをいう。
- (a) 日本国については、
- 日本銀行

(i)

- ⑪ 株式会社国際協力銀行
- ⑾ 独立行政法人国際協力機構
- 迎 独立行政法人日本貿易保険
- (v) 日本国政府が資本の全部を所有するその他の金融機関で両締約国の政府が随時合意するもの
- インドについては、

(b)

- インド準備銀行
- (i) インド輸出入銀行
- インド総合保険公社

(iii)

- (w) ニューインディア保険会社
- (v) インド政府が資本の全部を所有するその他の金融機関で両締約国の政府が随時合意するもの

第二条

条約第二十六条を次のように改める。

- 4. For the purposes of paragraph 3, the terms "the central bank" and "financial institution wholly owned by that Government" mean:
- in the case of Japan:

(a)

- (i) the Bank of Japan;
- (ii) the Japan Bank for International Cooperation;
- (iii) the Japan International Cooperation Agency;

⟨∀

- such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of Japan as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States;
- in the case of India:

<u>b</u>

- (i) Reserve Bank of India;
- (ii) Export-Import Bank of India;
- (iii) General Insurance Corporation of India;
- (iv) New India Assurance Company Limited; and
- such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of India as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States."

⟨₹

ARTICLE 2

を含む。)を交換する。情報の交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。

審理又は司法上の決定において開示することができる。この2の第一文から第三文までの規定にかかわ 情報をそのような目的のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷における 者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ、開示される。これらの者又は当局は、当該 する執行若しくは訴追、 情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関 る場合において、当該情報を提供した他方の締約国の権限のある当局がそのような使用を許可するとき らず、一方の締約国が受領した情報は、両締約国の法令に基づき他の目的のために使用することができ 1の規定に基づき一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した 他の目的のために使用することができる これらの租税に関する不服申立てについての決定又はこれらの監督に関与する

- 3 してはならない。 1及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解
- 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
- (b) とができない情報を提供すること 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手するこ

"Article 26

- 1. The competent account information (including States shall exchange such information (including states shall exchange such information (including states) as divisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or documents or certified copies of the documents) as is Articles 1 and 2. The exchange of information is not restricted by Contracting States, or of their political sub-The competent authorities of the Contracting
- They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment same manner as information obtained under the domestic Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the the laws of both Contracting States and the competent authority of the supplying Contracting State laws of that Contracting State and shall be disclosed authorises such use to the taxes referred to in paragraph 1, or the information may be used for such other purposes under
- 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (d to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

情報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。
(c) 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような

4 一方の締約国は、他方の締約国がこの条の規定に従って当該一方の締約国は、他方の締約国が情報の提股を用いる。この4の第一文に規定する義務は、3に定める制限に従うが、その制限は、いかなる場合にも、当該情報が自己の課税目的のために必要でないことのみを理由として、一方の締約国は、いかなる場合にも、当該情報を入手するために必要な手供を拒否することを認めるものと解してはならない。

が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。 しくは受託者が有する情報又はある者の所有に関する情報であることのみを理由として、一方の締約国 5 3の規定は、いかなる場合にも、提供を要請された情報が銀行その他の金融機関、名義人、代理人若

第三条

条約第二十六条の次に次の一条を加える

第二十六条のA

できる。
和限を受けない。両締約国の権限のある当局は、この条の規定の実施方法を合意によって定めることが制限を受けない。両締約国の権限のある当局は、この条の規定の実施方法を合意によって定めることが
一条約国は、租税債権の徴収につき相互に支援を行う。この支援は、第一条及び第二条の規定による

2 この条において、「租税債権」とは、第二条の規定の対象となる租税及び両締約国が当事国となっている政府若しくは地方公共団体が課する次の租税(その課税がこの条約又は両締約国が当事国となっている及び徴収又は保全の費用をいう。

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE 3

A new Article shall be added after Article 26 of the Convention as follows:

Article 26

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of the taxes covered by Article 2 and the following taxes imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, and administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount:

- 日本国においては、
- 消費税
- (iii) 贈与税

(ii)

相続税

- インドにおいては、
- (i) 資産税

(ii)

物品税

- (iii) サービス税
- (iv) 売上税
- 付加価値税
- (c) その他の租税で両締約国の政府が合意するもの
- 3 一方の締約国の租税債権が当該一方の締約国の法令に基づき執行することができるものであり、か 件を満たす当該他方の締約国の租税債権と同様に、当該他方の締約国により、当該他方の締約国の租税 の執行及び徴収について適用される当該他方の締約国の法令に従って徴収される。 るものとする。当該租税債権は、この3の規定に基づいて当該他方の締約国が要請することができる条 の権限のある当局の要請に基づき、他方の締約国の権限のある当局により、徴収のために引き受けられ 基づき当該租税債権の徴収を停止させることができない場合には、 つ、その徴収における支援の要請の時において当該租税債権を負担する者が当該一方の締約国の法令に 当該租税債権は、 当該一方の締約国

- (a) in Japan:
- (±) the consumption tax;
- (ii) the inheritance tax; and
- (iii) the gift tax;
- (d in India:
- the wealth tax;

(i:)

the excise duty;

(ii)

the service tax;

(iii)

the sales tax; and

(iv)

the value added tax;

€

any other tax agreed upon between the Governments of the Contracting States.

(C)

its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State that met the conditions allowing that other Contracting State to make a request under this paragraph. collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its 3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of

インドとの租税(所得)条約改正議定書

- 4 一方の締約国の法令に従って当該保全の措置をとる。
 様に、当該他方の締約国の法令に従って当該保全の措置をとる。
 様に、当該他方の締約国の法令に従って当該保全の措置をとる。
- 有する。当該一方の締約国は、当該措置について当該他方の締約国に通報する。
 てとられたならば、当該他方の締約国の法令には、当該他方の締約国の法令の下においても同様の効果を てとられたならば、当該他方の締約国の法令に従って当該租税債権について適用される時効を停止し、 てとられたならば、当該他方の締約国の法令に従って当該租税債権について適用される時効を停止し、
- 攻機関に提起されない。
 一方の締約国の租税債権の存在、有効性又は額に関する争訟の手続は、他方の締約国の裁判所又は行
 一方の締約国の租税債権の存在、有効性又は額に関する争訟の手続は、他方の締約国の裁判所又は行

九 四

- 4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the firstmentioned Contracting State or is sowed by a person who has a right to prevent its collection.
- 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.
- 6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, acts carried out by a Contracting State in the collection of a revenue claim accepted by that Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4, which, if they were carried out by the other Contracting State, would have the effect of suspending or interrupting the time limits applicable to the revenue claim according to the laws of that other Contracting State, shall have such effect under the laws of that other Contracting State. The firstmentioned Contracting State shall inform the other Contracting State shall inform the other Contracting State shall inform the other
- 7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

- 8 る。 当該一方の締約国に送金するまでの間に、当該租税債権が次の回又は他の規定に該当しなくなった場合 やかに通報し、当該他方の締約国の選択により、 一方の締約国が3又は4の規定に基づいて要請した後、他方の締約国が関連する租税債権を徴収し、 当該一方の締約国の権限のある当局は、当該他方の締約国の権限のある当局に対しその事実を速 当該一方の締約国は、その要請を停止し、又は撤回す
- 税債権の徴収を停止させることができないものであること。 とができるものであり、かつ、当該租税債権を負担する者が当該一方の締約国の法令に基づき当該租 3の規定に基づく要請については、当該租税債権が、当該一方の締約国の法令に基づき執行するこ
- (b) 収を確保するために保全の措置をとることができるものであること。 4の規定に基づく要請については、当該租税債権が、当該一方の締約国がその法令に基づきその徴

- 9 てはならない。 この条の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解し
- (a) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
- (b) 公の秩序に反することとなる措置をとること。
- (c) ていない場合に支援を行うこと。 他方の締約国がその法令又は行政上の慣行に基づき徴収又は保全のために全ての妥当な措置をとっ

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be remitted the relevant revenue claim to the first-

- (a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentloned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or
- <u>(d</u> Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned ensure its collection

Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the or withdraw its request. be construed so as to impose on a Contracting State first-mentioned Contracting State shall either suspend the competent authority of the first-mentioned In no case shall the provisions of this Article

- the obligation:
- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (d contrary to public policy; to carry out measures which would be
- (0) Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice; to provide assistance if the other

Î

効力発生

- は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書
- 2 第一条の規定によって改正される条約第十一条3及び4の規定は、次のものについて適用する。

(a) 日本国においては、

- (i) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の租税
- 銀税年度に基づかないで課される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に課される租税

(b) インドにおいては、

- (1) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に支払われ、又は貸記される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に支払われ、
- ⑪ この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に開始する各課税年度の所得に対する租税

(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State."

ARTICLE 4

- 1. This Protocol shall be approved in accordance with the legal procedures of each of the Contracting States and shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.
- 2. The provisions of paragraphs 3 and 4 of Article 11 of the Convention, as amended by Article 1 of this Protocol shall have effect:

(a) in Japan:

- (i) with respect to taxes levied on the basis of a taxable year, for taxes for any taxable years beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and
- (ii) with respect to taxes not levied on the basis of a taxable year, for taxes levied on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and

(b) in India:

- (i) with respect to taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and
- (ii) with respect to taxes on income for any previous year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force.

この議定書が効力を生ずる日から適用する。のAの規定は、これらの規定の対象となる租税が課される日又は当該租税に係る課税年度にかかわらず、のAの規定は、これらの規定の対象となる租税が課される日又は当該租税に係る課税年度にかかわらず、

この議定書は、条約が有効である限り効力を有する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。 二千十五年十二月十一日にニューデリーで、ひとしく正文である日本語、ヒンディー語及び英語により本

甲松賢司

インド共和国政府のために

ハスムーク・アディア

3. The provisions of Article 26 of the Convention, as amended by Article 2 of this Protocol, and Article 26A of the Convention, as added by Article 3 of the Protocol, shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the date on which the taxes are levied or the taxable year to which the taxes relate.

4. This Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this eleventh day of December, 2015, in the Japanese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government of Japan:

For the Government of the Republic of India:

K. Hiramatsu

at.su

Hasmukh Adhia

インドとの租税(所得)条約改正議定書

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए जापान की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकाँत।

जापान की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार

24 फरवरी, 2006 को टोक्यो में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल (इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है) द्वारा यथा संशोधित 7 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए जापान की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छद

अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 तथा 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- "3. पैराग्राफ 2 के अनुवंधों में किसी बात के होते हुए, करार करने वाले राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला ब्याज दूसरे संविदाकारी राष्ट्र में ही कराधीन होगा यदि:
- (क) व्याज, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण, या उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस सरकार की स्वामित्व वाली किसी विलीय संस्था द्वारा प्राप्त और लाभदायक ढंग से स्वामित्व में है; अथवा
- (ख) व्याज, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या
 स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस
 सरकार की स्वामित्व वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्याभूत, बीमित या अप्रत्यक्ष रूप



से वित्तपोषित ऋण-दावों के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त और लाभदायक ढंग से स्वामित्व में है।

- पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, शब्दों, "केन्द्रीय बैंक" और 'उस सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली विल्लीय संस्था" का आशय:
- (क) जापान के मामले में:
- बैंक ऑफ जापान;
- जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन;
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी;

3

- (iv) निप्पोन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस
- (y) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी संविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमित के अनुसार जापान की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है;
- (ख) भारत के मामले में:
- (i) भारतीय रिजर्व बैंक;
- (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक
- (iii) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया;
- (iv) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
- (y) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी संविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमित के अनुसार भारत की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।"

अनुच्छेद

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुच्छेद 26

 संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा

संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्लन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानत: संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकृत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अलुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

- 2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस संविदाकारी राज्य के अंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (त्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल है) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अभीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, यदि ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्य के प्राधिकरणों के कार्यूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रिया जा सकता हो।
- किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:
- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
 (ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार सम्बंधी, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक राज अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो,

जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराधाफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि

संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद (

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के बाद निम्नवत रूप से एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा:

अन्च्छेद 26 क

- संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की बसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
- इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए अनुच्छेद 2 में शामिल तथा निम्निलिखित करों से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित व्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है:
- (क) जापान में:
-) उपभोग कर;
- (ii) विरासत कर; और
- (iii) उपहार कर;
- (ख) भारत में:
- (i) संपत्ति कर;

インドとの租税(所得)条約改正議定書

- (ii) उत्पादशुल्क;
- (iii) सेवा कर;
- (iv) बिक्री कर; और
- (v) मूल्य वर्धित कर;
- कोई अन्य कर जिस पर संविदाकारी राज्यों की सरकारें सहमत हुई हों।

色

- अब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर इसकी वसूली को रोज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस र्यानस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा खुद अपने करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य कानूनों के उपवंधों के अनुसार उसी प्रकार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा था जो दूसरे संविदाकारी राज्य को इस पैराधाफ के तहत एक अनुरोध करने की शर्त को पूरी करता हो।
- 4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिष्ठिचत करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपवंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।
- 5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपवंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस संविदाकारी राज्य में किसी समय सीमा के अध्यशीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में इसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

四〇〇

- 6. पैराग्राफ 5 के उपवंधों में किसी बात के होते हुए, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किसी राजस्व दावे के संग्रहण में किसी संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए कार्य, जो, यदि दूसरे संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए थे, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अनुसार राजस्व दावे पर लागू समय-सीमा को निलंबित या हस्तक्षेप करने का प्रभाव होगा, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के तहत इस प्रकार का प्रभाव होगा। पहला उल्लिखित संविदाकारी राष्ट्र ऐसे कार्यों के बारे में दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को सूचित करेगा।
- किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।
- 8. वहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:
- (क) पैराग्राफ 3 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा, जोकि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में है जोकि उस समय, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इसके संग्रहण का निवारण नहीं कर सका या
- (ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

- इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:
- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति के विपरीत हों;

- (ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- (घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस संविदाकारी राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।"

अनुच्छेद 4

- यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्रों की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित होगा और इस प्रकार का अनुमोदन दशींते हुए राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान की तारीख के बाद तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।
- इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 और
 के उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा:

(क) जापान में:

- (i) किसी कराधीन वर्ष के आधार पर लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी कराधीन वर्ष हेतु करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और
- (ii) किसी कराधीन वर्ष के आधार पर नहीं लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लगाए गए करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और

(ख) भारत में:

- (i) स्रोत पर रोक कर रखे गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद भुगतान या क्रेडिट की गई राशि के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और
- (ii) कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है।

इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 26 और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद
 द्वारा जोड़े गए अभिसमय के अनुच्छेद 26क के उपबंध, उस तारीख, जिस तारीख को कर लगाए गए या

कराधीन वर्ष, जिससे कर संबंधित हैं, पर ध्यान दिए बिना, प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

यह प्रोटोकॉल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अभिसमय लागू रहता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर. अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में ग्यारह दिसम्बर, 2015 को जापानी, हिन्दी और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

जापान की भारत गणराज्य की

K. Hiramatsu

सरकार की ओर से

Hasmukh Adhia

सरकार की ओर से

(参考)

となる機関を追加・整備することを定めるものである。定を国際水準に沿った規定に改正し、新たに徴収共助の規定を導入するとともに、利子免税の対象租税(所得)条約(平成元年二国間条約集及び平成十八年二国間条約集参照)の情報交換に係る規この議定書は、平成元年に発効し、平成十八年に発効した議定書によって改正されたインドとの